

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तराखण्ड में निविदा द्वारा औद्योगिक निवेशों की पर्वतीय क्षेत्रों में व्यवस्था हेतु कैलेंडर

क्र० सं०	कार्य का विवरण	आगामी वित्तीय वर्ष हेतु प्रभावी, उद्यान सचल दल द्वारा जि०उ०अ० को मांग प्रस्तुत करना	जि०उ०अ० द्वारा संकलित मांग निदेशालय/ नोडल कार्यालय को प्रस्तुत करना	निदेशालय / नोडल कार्यालय द्वारा निविदा विज्ञापित जारी करना	निदेशालय/ नोडल कार्यालय द्वारा निविदा प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराना	शासन द्वारा स्वीकृति एवं जनपदों को परिचालित करना	निदेशालय / नोडल कार्यालय द्वारा गठित तकनीकी समिति द्वारा निरीक्षण/सत्यापन	उद्यान सचल दल केन्द्र पर आपूर्ति		किसानों में वितरण	
								3000 से 6000 फीट ऊँचाई तक	6000 फीट से अधिक	3000 से 6000 फीट ऊँचाई तक	6000 फीट से अधिक
01	फल पौध यथा- सेब, नाशपाती, आड़ू, प्लम, खुबानी, अखरोट, क़ीची, चैरी, बादाम आदि की व्यवस्था।	25 जनवरी तक	10 फरवरी तक	10 अप्रैल तक	15 मई तक	31 मई तक	30 नवम्बर तक	15 दिसम्बर तक	15 दिसम्बर तक	30 जनवरी तक	28 फरवरी तक
02	सब्जी बीज यथा- टमाटर, शिमला मिर्च, फूलगोभी, बन्दगोभी, प्याज, बैंगन, मटर, मूली, फ़ैन्चबीन, धनिया आदि की व्यवस्था।	25 जनवरी तक	10 फरवरी तक	10 अप्रैल तक	15 मई तक	31 मई तक	05 जुलाई तक	31 जुलाई तक	05 मार्च तक	15 अगस्त तक	15 अप्रैल तक
03	आलू के बीज की व्यवस्था	15 अगस्त तक	31 अगस्त तक	30 सितम्बर तक	10 नवम्बर तक	15 दिसम्बर तक	31 दिसम्बर तक	15 जनवरी तक	15 फरवरी तक	31 जनवरी तक	28 फरवरी तक
04	कद्दू वगैरह फसलों के बीज की व्यवस्था।	25 जनवरी तक	10 फरवरी तक	10 अप्रैल तक	15 मई तक	31 मई तक	15 जनवरी तक	05 फरवरी तक	05 मार्च तक	15 मार्च तक	15 अप्रैल तक
05	गुलाब पुष्प के बीज/पौध की व्यवस्था।	25 जनवरी तक	10 फरवरी तक	05 अप्रैल तक	10 मई तक	25 मई तक	31 मई तक	10 जून तक	05 मार्च तक	15 जुलाई तक	15 मई तक
06	गेंदा पुष्प के बीज/पौध की व्यवस्था।	25 जनवरी तक	10 फरवरी तक	10 अप्रैल तक	15 मई तक	31 मई तक	15 जून तक एवं 15 जनवरी तक	05 अगस्त तक एवं 05 फरवरी तक	05 मार्च तक	15 सितम्बर तक एवं 15 मई तक	15 मई तक
07	कीट व्याधिनाशक रसायनों की व्यवस्था।	25 जनवरी तक	10 फरवरी तक	10 अप्रैल तक	15 मई तक	31 मई तक	30 जून तक	15 जुलाई से वर्ष भर	15 जुलाई से वर्ष भर	15 जुलाई से वर्ष भर	15 जुलाई से वर्ष भर
08	पोषक तत्वों की व्यवस्था।	25 जनवरी तक	10 फरवरी तक	10 अप्रैल तक	15 मई तक	31 मई तक	30 जून तक	15 जुलाई से वर्ष भर	15 जुलाई से वर्ष भर	15 जुलाई से वर्ष भर	15 जुलाई से वर्ष भर
09	मल्लिचंग शीट एवं एन्टी हेल नैट की व्यवस्था।	25 जनवरी तक	10 फरवरी तक	10 अक्टूबर तक	15 नवम्बर तक	30 नवम्बर तक	31 जनवरी तक	28 फरवरी तक	28 फरवरी तक	28 फरवरी से वर्ष के अन्त तक	28 फरवरी से वर्ष के अन्त तक
10	कोरोगेटेड बॉक्स/पैकिंग प्लास्टिक कैंट्स की व्यवस्था।	25 जनवरी तक	10 फरवरी तक	05 अप्रैल तक	05 मई तक	15 मई तक	20 मई तक	30 मई तक	30 मई तक	30 मई से	30 मई से
11	लहसुन बीज की व्यवस्था।	25 जनवरी तक	10 फरवरी तक	05 जून तक	31 जुलाई तक	10 अगस्त तक	20 अगस्त तक	31 अगस्त तक	31 अगस्त तक	30 सितम्बर तक	30 सितम्बर तक
12	अदरक, हल्दी एवं मसाला मिर्च बीज की व्यवस्था।	25 जनवरी तक	10 फरवरी तक	15 नवम्बर तक	20 दिसम्बर तक	31 दिसम्बर तक	28 फरवरी तक	20 मार्च तक	20 मार्च तक	31 मार्च तक	31 मार्च तक
13	विभिन्न सामग्री के ढुलान की दरें तय करना	-	-	10 अप्रैल तक	15 मई तक	31 मई तक	-	-	-	-	-

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तराखण्ड में निविदा द्वारा औद्योगिक निवेशों की मैदानी/घाटी क्षेत्रों में व्यवस्था हेतु कैलेण्डर

क्र० सं०	कार्य का विवरण	आगामी वित्तीय वर्ष हेतु प्रभारी, उद्यान सचल दल द्वारा जि०उ०अ० को मांग प्रस्तुत करना	जि०उ०अ० द्वारा संकलित माँग निदेशालय/ नोडल कार्यालय को प्रस्तुत करना	निदेशालय / नोडल कार्यालय द्वारा निविदा विज्ञप्ति जारी करना	निदेशालय/ नोडल कार्यालय द्वारा निविदा प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराना	शासन द्वारा स्वीकृति एवं जनपदों को परिचालित करना	निदेशालय / नोडल कार्यालय द्वारा गठित तकनीकी समिति द्वारा निरीक्षण/सत्यापन	उद्यान सचल दल केन्द्र पर आपूर्ति का समय	किसानों में वितरण
01	फल पौध यथा- आम, लीची, अमरुद, नींबू, वर्गीय फसलें, आंवला, अनार, केला, पपीता आदि की व्यवस्था।	25 जनवरी तक	10 फरवरी तक	10 अप्रैल तक	15 मई तक	31 मई तक	15 जून तक	31 जुलाई तक	15 अगस्त तक
02	सब्जी बीज यथा- टमाटर, शिमला मिर्च, फूलगोभी, बन्दगोभी, प्याज, बैंगन, मटर, मूली, फ़ेन्चबीन, धनिया आदि की व्यवस्था।	25 जनवरी तक	10 फरवरी तक	10 अप्रैल तक	15 मई तक	31 मई तक	05 जुलाई तक	15 अगस्त तक	15 सितम्बर तक
03	आलू के बीज की व्यवस्था।	25 जनवरी तक	10 फरवरी तक	10 अप्रैल तक	15 मई तक	31 मई तक	15 जुलाई तक	15 अगस्त तक	31 अगस्त तक
04	कद्दू वर्गीय फसलों के बीज की व्यवस्था।	25 जनवरी तक	10 फरवरी तक	10 अप्रैल तक	15 मई तक	31 मई तक	15 जनवरी तक	15 फरवरी तक	15 फरवरी से
05	पुष्प पौध/बीज यथा- गुलाब, गेंदा आदि की व्यवस्था।	25 जनवरी तक	10 फरवरी तक	05 अप्रैल तक	10 मई तक	25 मई तक	31 मई तक	31 जुलाई तक	15 अगस्त तक
06	कीट व्याधिनाशक रसायनों की व्यवस्था।	25 जनवरी तक	10 फरवरी तक	10 अप्रैल तक	15 मई तक	31 मई तक	30 जून तक	15 जुलाई से वर्ष भर	15 जुलाई से वर्ष भर
07	पोषक तत्वों की व्यवस्था।	25 जनवरी तक	10 फरवरी तक	10 अप्रैल तक	15 मई तक	31 मई तक	30 जून तक	15 जुलाई से वर्ष भर	15 जुलाई से वर्ष भर
08	मल्टिचंग शीट की व्यवस्था।	25 जनवरी तक	10 फरवरी तक	10 अक्टूबर तक	10 नवम्बर तक	30 नवम्बर तक	31 जनवरी तक	28 फरवरी तक	28 फरवरी से वर्ष के अन्त तक
09	कोरोगेटेड बॉक्स/पैकिंग प्लास्टिक क्रेट्स की व्यवस्था।	25 जनवरी तक	10 फरवरी तक	05 अप्रैल तक	05 मई तक	15 मई तक	20 मई तक	30 मई तक	30 मई से
10	लहसुन बीज की व्यवस्था।	25 जनवरी तक	10 फरवरी तक	05 जुलाई तक	31 जुलाई तक	10 अगस्त तक	30 सितम्बर तक	15 अक्टूबर तक	15 अक्टूबर से
11	अदरक, हल्दी एवं मसाला मिर्च बीज की व्यवस्था।	25 जनवरी तक	10 फरवरी तक	20 नवम्बर तक	20 दिसम्बर तक	31 दिसम्बर तक	28 फरवरी तक	15 मार्च तक	31 मार्च से

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तराखण्ड में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों/राज्य कृषि/औद्योगिकी विश्व विद्यालयों से बीज एवं रोपण सामग्री की आपूर्ति हेतु कैलेंडर

क्र० सं०	कार्य का विवरण	आगामी वित्तीय वर्ष हेतु प्रभावी, उद्यान सचल दल द्वारा जि०उ०अ० को मांग प्रस्तुत करना	जि०उ०अ० द्वारा संकलित मांग निदेशालय/ नोडल कार्यालय को प्रस्तुत करना	निदेशालय / नोडल कार्यालय द्वारा संस्थाओं को मांग प्रेषित करना	संस्थाओं द्वारा उपलब्धता की सूचना उपलब्ध करना	निदेशालय / नोडल कार्यालय द्वारा गठित तकनीकी समिति द्वारा निरीक्षण/सत्यापन	निदेशालय / नोडल कार्यालय द्वारा उपलब्धता के आधार पर आपूर्ति हेतु आदेश जारी करना	संस्थाओं द्वारा आपूर्ति करना			उद्यान सचल दल केन्द्र पर आपूर्ति का समय			किसानों में वितरण			
								3000 फीट तक	3000 से 6000 फीट ऊँचाई तक	6000 फीट से अधिक	3000 फीट तक	3000 से 6000 फीट ऊँचाई तक	6000 फीट से अधिक	3000 फीट तक	3000 से 6000 फीट ऊँचाई तक	6000 फीट से अधिक	
01	फल पौध यथा- आम, लीची, अमरुद, नींबू चर्गीय फसलें, आंवला, अनार, केला, पपीता, स्ट्रॉबेरी आदि की व्यवस्था।	25 जनवरी तक	10 फरवरी तक	15 अप्रैल तक	30 अप्रैल तक	10 जून तक	15 जून तक	20 जुलाई तक	-	-	-	31 जुलाई तक	-	-	15 अगस्त तक	-	-
02	फल पौध यथा- सेब, नाशपाती, आड़ू, प्लम, खुबानी, अखरोट, कीवी, चैरी, बादाम आदि की व्यवस्था।	25 जनवरी तक	10 फरवरी तक	31 जून तक	31 अक्टूबर तक	15 नवम्बर तक	30 नवम्बर तक	-	05 दिसम्बर तक	05 जनवरी तक	-	15 दिसम्बर तक	15 जनवरी तक	-	30 जनवरी तक	28 फरवरी तक	
03	सब्जी बीज यथा- टमाटर, शिमला मिर्च, फूलगोभी, बन्दगीभी, प्याज, बेगन, मटर, मूली, फेन्वबीन, धनिया आदि की व्यवस्था।	25 जनवरी तक	10 फरवरी तक	10 अप्रैल तक	10 मई तक	20 मई तक	31 मई तक	05 अगस्त तक	15 जून तक	25 फरवरी तक	15 अगस्त तक	31 जुलाई तक	05 मार्च तक	15 सितम्बर तक	15 अगस्त तक	15 अप्रैल तक	
04	आलू के बीज की व्यवस्था (मैदानी क्षेत्रों हेतु)	25 जनवरी तक	10 फरवरी तक	10 अप्रैल तक	10 मई तक	15 जुलाई तक	20 जुलाई तक	05 अगस्त तक	-	-	15 अगस्त तक	-	-	31 अगस्त तक	-	-	
04	आलू के बीज की व्यवस्था (पर्वतीय क्षेत्रों हेतु)	15 अगस्त तक	31 अगस्त तक	30 सितम्बर तक	15 नवम्बर तक	30 दिसम्बर तक	05 जनवरी तक	-	10 जनवरी तक	10 फरवरी तक	-	15 जनवरी तक	15 फरवरी तक	-	31 जनवरी तक	28 फरवरी तक	
04	कद्दू चर्गीय फसलों के बीज की व्यवस्था।	25 जनवरी तक	10 फरवरी तक	10 अप्रैल तक	10 मई तक	20 मई तक	31 मई तक	25 फरवरी तक	25 जनवरी तक	25 फरवरी तक	05 मार्च तक	05 फरवरी तक	05 मार्च तक	05 मार्च से	15 मार्च तक	15 अप्रैल तक	
05	गुलाब पुष्प के पौध की व्यवस्था।	25 जनवरी तक	10 फरवरी तक	10 अप्रैल तक	10 मई तक	20 मई तक	31 मई तक	15 जुलाई तक	25 मई तक	25 फरवरी तक	31 जुलाई तक	05 जून तक	05 मार्च तक	15 अगस्त तक	15 जुलाई तक	15 मई तक	
06	गेंदा पुष्प के बीज/पौध की व्यवस्था।	25 जनवरी तक	10 फरवरी तक	10 अप्रैल तक	10 मई तक	20 मई तक	31 मई तक	15 जुलाई तक	25 जुलाई तक	25 फरवरी तक	31 जुलाई तक	05 अगस्त तक	05 मार्च तक	15 अगस्त तक	15 सितम्बर तक	15 मई तक	
07	लहसुन बीज की व्यवस्था।	25 जनवरी तक	10 फरवरी तक	05 जुलाई तक	31 जुलाई तक	31 जुलाई तक	10 अगस्त तक	05 अक्टूबर तक	20 अगस्त तक	20 अगस्त तक	15 अक्टूबर तक	31 अगस्त तक	31 अगस्त तक	30 अक्टूबर से	30 सितम्बर तक	30 सितम्बर तक	
08	अदरक, हल्दी एवं मसाला मिर्च बीज की व्यवस्था।	25 जनवरी तक	10 फरवरी तक	20 नवम्बर तक	10 दिसम्बर तक	20 दिसम्बर तक	31 दिसम्बर तक	05 मार्च तक	10 मार्च तक	10 मार्च तक	15 मार्च तक	20 मार्च तक	20 मार्च तक	31 मार्च तक	31 मार्च तक	31 मार्च तक	

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तराखण्ड में विभागीय पौधालयों से बीज एवं रोपण सामग्री की आपूर्ति हेतु कैलेण्डर

क्र० स०	कार्य का विवरण	पौधालयों द्वारा जि०उ०अ० को उपलब्धता प्रस्तुत करना	जि०उ०अ० द्वारा संकलित उपलब्धता निदेशालय/ नोडल कार्यालय को प्रस्तुत करना	निदेशालय / नोडल कार्यालय द्वारा विभागीय पौधालयों का भौतिक सत्यापन कर पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित करना	निदेशालय / नोडल कार्यालय द्वारा उपलब्धता के आधार पर आवंटन हेतु आदेश जारी करना	उद्यान सचल दल केन्द्र पर आपूर्ति का समय			किसानों में वितरण		
						3000 फीट ऊँचाई तक	3000 से 6000 फीट ऊँचाई तक	6000 फीट से अधिक ऊँचाई तक	3000 फीट ऊँचाई तक	3000 से 6000 फीट ऊँचाई तक	6000 फीट से अधिक ऊँचाई तक
01	फल पौध यथा- आम, लीची, अमरुद, नींबू वर्गीय फसलें, आंवला, केला, पपीता, अनार, स्ट्रॉबेरी आदि की व्यवस्था।	15 मई तक	25 मई तक	15 जून तक	25 जून तक	31 जुलाई तक	-	-	15 अगस्त तक	-	-
02	फल पौध यथा- सेब, नाशपाती, आड़ू, प्लम, खुबानी, अखरोट, कीवी, चैरी, बादाम, आदि की व्यवस्था।	15 अक्टूबर तक	25 अक्टूबर तक	15 नवम्बर तक	30 नवम्बर तक	-	15 दिसम्बर तक	15 दिसम्बर तक	-	15 जनवरी तक	15 जनवरी तक
03	सब्जी बीज यथा- टमाटर, शिमला मिर्च, फूलगोभी, बन्दगोभी, प्याज, बैंगन, मटर, मूली, फेन्वबिन, धनिया आदि की व्यवस्था।	10 अप्रैल तक	20 अप्रैल तक	-	15 मई तक	15 अगस्त तक	31 जुलाई तक	05 मार्च तक	15 सितम्बर तक	15 अगस्त तक	15 अप्रैल तक
04	आलू बीज	10 अप्रैल तक	20 अप्रैल तक	-	15 मई तक	15 अगस्त तक	15 जनवरी तक	15 फरवरी तक	31 अगस्त तक	31 जनवरी तक	28 फरवरी तक

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तराखण्ड में विदेशों से आयात की जाने वाली रोपण सामग्री हेतु अधिप्राप्ति कैलेण्डर

क्र० सं०	रोपण सामग्री का नाम	निदेशालय / नोडल कार्यालय द्वारा मांग का निर्धारण करना	आयात किये जाने हेतु शासन से स्वीकृति हेतु शासन को प्रस्ताव प्रस्तुत करना	शासन द्वारा आयात हेतु स्वीकृति जारी करना	निदेशालय / नोडल कार्यालय द्वारा स्वीकृति के आधार पर आपूर्ति हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित संस्थाओं को आदेश जारी करना	भारत सरकार द्वारा निर्धारित संस्थाओं से आपूर्ति	अभ्युक्ति
01	शीतोष्ण फल पौध यथा- सेब, नाशपाती, अखरोट, खुबानी, आड़ू आदि की उन्नत प्रजातियों का आयात	01 अगस्त तक	01 सितम्बर तक	15 सितम्बर तक	30 सितम्बर तक	30 नवम्बर तक	
02	नीबू वर्गीय फसलें (वैलेन्सिया) की उन्नत प्रजातियों की फल पौध का आयात	01 मार्च तक	31 मार्च तक	15 अप्रैल तक	30 अप्रैल तक	30 जून तक	
03	शीतोष्ण फल वृक्षों यथा- सेब आदि के मूलवृन्त (Root Stock) की उन्नत प्रजातियों का आयात	01 अगस्त तक	01 सितम्बर तक	15 सितम्बर तक	30 सितम्बर तक	30 नवम्बर तक	
04	विभिन्न पुष्प फसलों यथा-ग्लेडियोस, लिलियम आदि की रोपण सामग्री	15 मई तक	15 जून तक	01 जुलाई तक	15 जुलाई तक	15 सितम्बर तक	